प्रेस विज्ञप्ति

7 दिसंबर, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने आज प्रेस में निम्नलिखित बयान जारी किया :–

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पूर्व एवं बाद में भारत के लोगों की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाई और संसदीय प्रजातंत्र पर आधारित समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना की। भारतीय प्रजातंत्र को आकार दे 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से ओतप्रोत होकर सब भारतवासियों को समान राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार एवं अवसर उपलब्ध करवाए।
2. नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में की थी और असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड अखबार की प्रकाशक कंपनी थी। प्रारंभ से ही नेशनल हेराल्ड स्वतंत्रता संग्राम का मुखपत्र रहा और स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़े आदर्शों और गतिविधियों का निरंतर समर्थन करता रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार और असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को आर्थिक समस्याओं से उबरने में मदद देकर न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, बल्कि पार्टी को इस बात पर गर्व है। नेशनल हेराल्ड को पार्टी द्वारा अलग अलग समय पर ब्याजमुक्त ऋण दिया गया, जिसकी कुल राशि 90 करोड़ रु. थी। इससे न तो पार्टी और न ही असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने कोई व्यवसायिक फायदा उठाया।
3. सन 2010 में भारतीय कंपनी कानून, 1956 की धारा 25 के तहत 'नॉट–फॉर–प्रॉफिट' यंग इंडिया कंपनी का गठन किया गया। श्रीमति सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी इसके छः मैनेजिंग कमिटी सदस्यों में शामिल हैं। 'यंग इंडियन' ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यह 90 करोड़ का ऋण समाचार पत्र को पुर्नजीवित करने के लिए लिया।
4. भारतीय कंपनी कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि 'नॉट–फॉर–प्रॉफिट सेक्शन 25 कंपनी' की मैनेजिंग कमिटी का सदस्य किसी भी तरह का फायदा, लाभ,

लाभांश या वेतन नहीं ले सकता। 'यंग इंडियन' के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। जब मैनेजिंग कमिटी के सदस्य किसी भी प्रकार के लाभ, लाभांश, वेतन या मुआवजा आदि लेने से प्रतिबंधित हैं, तो इस बाबद किसी भी तरह का आरोप बेबुनियाद है एवं अंततः दुर्भावना से प्रेरित और झूठा साबित हो जाता है।

5. भाजपा की 'बदले की राजनीति' से प्रेरित होकर ही, भाजपा की केंद्रीय समिति के सदस्य, श्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक झूठी निजी शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में बताए गए तथ्यों के आधार पर भारतीय कानून के अंतर्गत कोई अपराध न बनता और न ही साबित होता। भाजपा प्रायोजित इस शिकायत का एकमात्र उद्देश्य सनसनी फैलाना, राजनैतिक रंजिश एवं कांग्रेस नेतृत्व की छवि को धूमिल करने का एक कुत्सित प्रयास है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली उच्च न्यायालय के आज दिए निर्णय को न्यायिक प्रक्रिया के एक चरण के तौर पर देखती है, न कि अनपेक्षित घटना के रूप में। अपनी लम्बे राजनैतिक सफर में कांग्रेस पार्टी व कांग्रेस नेतृत्व ने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों द्वारा प्रायोजित ऐसे कई झूठे मामलों का सामना किया है। कांग्रेस नेतृत्व व कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने सदैव इन दुर्भावनापूर्ण तथा मनगढंत हमलों का मुंहतोड़ जबाव दिया है। बदले की राजनीति से उपजे ऐसे मनगढ़ंत आरोपों से मोदी सरकार कभी भी कांग्रेस पार्टी को सरकार की जनविरोधी नीतियों को बेनकाब करने से नहीं रोक पाएगी। ऐसे कुत्सित प्रयास जनता की आवाज बुलंद करने के हमारे संकल्प को और ज्यादा मजबूत करेंगे। झूठ और दबाव की राजनीति से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व की आवाज न दबी है, न रुकी है और न रुकेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को न्यायपालिका में संपूर्ण विश्वास है, तथा जरूरी कानूनी राय के अनुरूप आगामी कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि सच्चाई की जीत होगी, जनता की अदालत में भी और कानून की अदालत में भी।''

रणदीप सिंह सुरजेवाला